AcE.
12.06.25
निर्माण
एसई/सीसी
3000
13.6.2025

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141-2227275, ई-मेल rajpr.sep@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ 4(1387) पराविं/पीसी/अटल ज्ञान केन्द्र/2025-58038 जयपुर दिनांकः-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषयः- बजट घोषणा वर्ष 2025-26 अन्तर्गत अटल ज्ञान केन्द्रों की स्थापना एवं क्रियान्विति के संबंध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा वर्ष 2025-26 अन्तर्गत प्रथम चरण में चयनित 3 हजार से अधिक आबादी वाले 2082 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जानी है, साथ ही उक्त अटल ज्ञान केन्द्रों पर अटल प्रेरकों का चयन किया जाना है।

उक्तानुसार अटल ज्ञान केन्दों की स्थापना एवं क्रियान्विति के संबंध में विभागीय दिशा-निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-

1. **अटल ज्ञान केन्द्रों की स्थापना:-**

- विभागीय दिशा-निर्देशानुसार प्रथम चरण में चयनित 2082 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रति केन्द्र राशि रू. 12.50 लाख, का व्यय षष्ठम राज्य वित्त आयोग के दिशा-निर्देश क्रमांक 347 दिनांक 28.01.2025 के बिन्दु संख्या 3(iv) **" सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण एवं रख-रखाव कार्य अनुमत होगें जिसमें पुस्ताकालय एवं वाचनालायों का निर्माण सम्मिलित होगा, जिनमें आवश्यकतानुसार फर्निचर यंथा, कुर्सी, टेबल इत्यादि की व्यवस्था की जा सकेगी।"** तथा बिन्दु संख्या 3(vii) **" पंचायती राज संस्थाओं में कार्यालयों, पुस्तकालयों एवं वाचनालयों में इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने हेतु एकबारीये लागत एवं उस पर आवर्ती व्यय"** के तहत तथा 15 वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देश क्रमाक 301 दिनांक 15.02.2022 के बिन्दु संख्या 8 **"सार्वजनिक पुस्तकालय"** के तहत राशि का उपयोग अटल ज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु किया जा सकेगा।
- साथ ही षष्ठम राज्य वित्त आयोग के दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या (ब)(1) **"सूचना प्रौधोगिकी/ई-गवर्नेन्स/डेटा बेस का उपयोग"** के तहत अटल ज्ञान केन्द्रों हेतु प्रति ग्राम पंचायत 4 कम्प्यूटर क्रय किये जा सकेगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.06.10 18:22:31 IST
Reason: Approved

Ref No.: 15773889

Scanned with OKEN Scanner

- **अटल ज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु निर्धारित समय सीमा निम्नानुसार है:–**
  - प्रशासनिक स्वीकृति जारी करना – दिनांक 15.06.2025 तक
  - तकनीकी स्वीकृति जारी करना – दिनांक 30.06.2025 तक
  - वित्तीय स्वीकृति जारी करना – दिनांक 05.07.2025 तक
  - निविदा जारी संबंधित कार्यवाही – दिनांक 15.07.2025 तक
- चयनित ग्राम पंचायत पर अटल ज्ञान केन्द्र निर्माण की निविदा संबंधित समस्त कार्यवाही संबंधित पंचायत समिति स्तर पर गठित उपापन समिति द्वारा संपादित की जावेगी। कार्यकारी एजेन्सी एवं भुगतान एजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत होगी।
- चयनित ग्राम पंचायत पर अटल ज्ञान केन्द्र हेतु आवश्यक फर्नीचर एवं कंप्यूटर (विभागीय दिशा–निर्देशों में निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार) क्रय की निविदा संबंधित समस्त कार्यवाही संबंधित पंचायत समिति स्तर पर गठित उपापन समिति द्वारा संपादित की जावेगी। कार्यकारी एजेन्सी एवं भुगतान एजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत होगी।

2. **<u>अटल प्रेरकों का चयन:–</u>**

- विभागीय दिशा–निर्देशानुसार प्रथम चरण में चयनित 2082 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केन्द्रों की स्थापना के उपरान्त निर्धारित प्रकिया द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से अटल प्रेरकों का चयन किया जाना है।
- अटल प्रेरकों के चयन हेतु निविदा संबंधित समस्त कार्यवाही संबंधित पंचायत समिति स्तर पर गठित उपापन समिति द्वारा संपादित की जावेगी। निविदा प्रक्रिया में सफल प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाये गये मानव संसाधनों मे से विभागीय दिशा–निर्देशानुसार ब्लॉक स्तरीय चयन समिति एवं तदुपरांत जिला स्तरीय चयन समिति से अनुमोदन करवाकर अनुमोदित चयन सूची अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी को संबंधित विकास अधिकारी द्वारा कार्यादेश दिया जावेगा।
- 15 वें वित्त आयोग के दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 13 **"अन्य कोई बुनियादि सेवाऐं जो राज्य सरकार द्वारा संबंधित राज्य विधान के तहत अनिवार्य सुधार/संवर्धित सेवाओं के आवर्ती व्यय जैसे बिजली के लिए आवर्ती व्यय, आउटसोर्सिंग के आधार पर जनशक्ति और आवश्यक रूप से अन्य प्रशासनिक खर्च (10 प्रतिशत की सीमा भीतर)"** के तहत अटल प्रेरक मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा।

यह वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 332500866 दिनांक 02.06.2025 द्वारा अनुमोदित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogaram
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.06.10 18:22:31 IST
Reason: Approved

(डा. जोगाराम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

ef No.: 15773889

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141–2227275, ई–मेल rajpr.sep@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ 4(1387) पराविं/पीसी/अटल ज्ञान केन्द्र/2025–58038 जयपुर दिनांकः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषयः– बजट घोषणा वर्ष 2025–26 अन्तर्गत अटल ज्ञान केन्द्र के संबंध में।
संदर्भः–विभागीय राजकाज पत्रांक 14525177 दिनांक 02.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा अटल ज्ञान केन्द्रों के निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों में स्थित भारत निर्माण सेवा केन्द्रों का सर्वे करवाकर सूचना संलग्न प्रारूप में तैयार कर दिनांक 07.04.2025 तक विभाग को भिजवाने का अनुरोध किया गया था किन्तु उक्त सूचना आदिनांक तक अप्राप्त है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय जिनकी आबादी 3 हजार से अधिक है, उनमें अटल ज्ञान केन्द्रों के निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों में स्थित भारत निर्माण सेवा केन्द्रों का सर्वे करवाकर यह सुनिश्चित किया जावे की उक्त स्थान पर अटल ज्ञान केन्द्र की स्थापना की जा सकती है अथवा नही, की सूचना संलग्न प्रारूप में तैयार कर दिनांक 18.04.2025 तक विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(संजय शर्मा)
अधीक्षण अभियंता

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
3. अधीशाषी/सहायक अभियन्ता, जिला परिषद् समस्त।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Designation : Superintending Engineer
Date: 2025.04.08 18:06:12 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

ACEO
25.06.25

निर्माण
26/6/25

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141–2227276, ई–मेलrajpr.sep@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ 4(1387) पराविं/पीसी/अटल ज्ञान केन्द्र/2025–58038   जयपुर दिनांकः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त(बांसवाडा, बूंदी एवं झालावाड को छोडकर)।

विषयः–बजट घोषणा वर्ष 2025–26 अन्तर्गत अटल ज्ञान केन्द्र के संबंध में।
संदर्भः–विभागीय राजकाज पत्र कमांक 14525177 दिनांक 02.04.2025 एवं 15391785 दिनांक 19.05.2025 के कम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जिन अटल ज्ञान केन्द्रों का निर्माण भारत निर्माण सेवा केन्द्र के प्रथम तल पर ना किया जा कर अन्य स्थान पर किया जाना है, के भूमि चयन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उक्त सूचना से विभाग को अवगत करवाने हेतु लिखा गया था। किन्तु आदिनांक तक केवल जिला परिषद बांसवाडा, बूंदी एवं झालावाड से ही सूचना प्राप्त हुई है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि भू–तल पर निर्माण करवाये जाने वाले अटल ज्ञान केन्द्रों के लिये भूमि का चयन कर आवंटन की कार्यवाही पूर्ण करवाते हुए भूमि संबंधी सूचना संलग्न प्रपत्र में विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

564
27/6/25

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(संजय शर्मा)
अधीक्षणअभियंता

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज।
2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
3. अधीशाषी/सहायक अभियन्ता, जिला परिषद् समस्त।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Designation : Superintending Engineer
Date: 2025.06.17 17:00:57 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

अतिआवश्यक

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाषः— 0141—2227275,
ई—मेल rajpr.sep@rajasthan.gov.in seprd1235@gmail.com

क्रमांक : एफ 4 (1387) पंरावि/पीसी/अटल ज्ञान केन्द्र/2025/ जयपुर, दिनांकः—

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् समस्त

विषयः— अटल ज्ञान केन्द्र के भवन निर्माण के संबंध में।
संदर्भः— विभागीय राज काज पत्र कमांक 16066732 दिनांक 24.06.2025.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा वर्ष 2025—26 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जानी है। इस कम में संदर्भित पत्र द्वारा जिलों में उपलब्ध अनुपयोगी भवनों की सूची संलग्न कर प्रेषित कर निर्देश दिए गए थे कि ऐसे अनुपयोगी भवन, जो संरचनात्मक रूप से सही स्थिति में हों एवं अटल ज्ञान केन्द्र हेतु अपेक्षित क्षेत्रफल के अनुसार उपयुक्त हों, उन्हें अटल ज्ञान केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। यदि इस हेतु भवनों में कुछ आवश्यक मरम्मत अथवा सुधार कार्य की आवश्यकता हो, तो अटल ज्ञान केन्द्र के दिशा—निर्देशों में प्रावधित मदों से भी राशि का उपयोग किया जा सकता है।

उपरोक्त पत्र की निरन्तरता में प्रथम चरण में चयनित ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केन्द्र निर्माण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:—

1. विभागीय राज काज पत्र कमांक 16066732 दिनांक 24.06.2025 के साथ संलग्न अनुपयोगी भवनों की सूची के अनुसार चिन्हीकरण एवं इसके अतिरिक्त भी यदि अन्य भवन (जिनमें स्कूल भवन भी शामिल हैं) उपलब्ध हैं, ऐसे भवनों का चिन्हिकरण।
2. ग्राम पंचायत में स्थित अन्य पुस्तकालय जो वर्तमान में कम्प्यूटराईजड नहीं हैं अथवा ई—लाईब्रेरी के रूप में विकसित नहीं है किन्तु कुछ आवश्यक सुधार के उपरान्त अटल ज्ञान केन्द्र के रुप में विकसित हो सकते हैं, का चिन्हिकरण।
3. ऐसे विद्यालय जहां पुस्तकालय उपलब्ध हैं का चिन्हिकरण :—
   (i) जो पूर्व से ही अटल ज्ञान केन्द्र निर्माण की अहर्ताऐं पूर्ण करते हैं।
   (ii) पुस्तकालय हैं, किन्तु कम्प्यूटर इत्यादि नहीं हैं। कम्पयूटर इत्यादि सुविधा उपलब्ध करवाकर अटल ज्ञान केन्द्र के रुप में विकसित किया जा सकता है।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना संलग्न प्रपत्र में दिनांक 09.07.2025 तक विभागीय ई—मेल seprd1235@gmail.com, rajpr.sep@rajasthan.gov.in पर अनिवार्य रुप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.07.07 19:52:26 IST
Reason: Approved

शासन सचिव एवं आयुक्त

R:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\16392388_8996130656326073596.docx

Scanned with OKEN Scanner